-:निर्णय:-

दिनांक 01.10.2025

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान, ,काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 9 के नाम तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 14 एचएमएच जमाबन्दी सम्वत 2071-2075

खाता सख्या 104 पत्थर नम्बर 138/276 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड खातेदारी है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 9 ने आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी घराघरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारानुसार वादी व, प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जो निम्न प्रकार से है वादी को घराघरू बंटवारे कृषि भूमि चक नम्बर 14 एचएमएच पत्थर नम्बर 138/276 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 5/0.042, 6 से 25 तादादी 5.102 हैक्टेयर नहरी भुमि बंटवारा में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादी को घरू बंटवारा में उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई व बंटवारा से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी ने अपने हिस्सा में आयी कृषि भूमि को अच्छे उर्वरक डालकर उपजाउ बनाया है। वादी को घराघरू बंटवारा में अपने हिस्सा में आई भूमि घराघरू बंटवारा व कब्जा अनुसार नाम लगवाने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे और आखिर दिनांक 28.01.2019 को इन्कार हो गऐ यही वाद कारण है, आदि आदि तथ्यों पर वाद पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लालचंद वर्मा उपस्थित व जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 से 8 जरिये अधिवक्ता श्री प्रदीप खोसा हाजिर अदालत हाकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी सख्या 09 बावजूद तामिल हाजिर नही आने के कारण उसके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी सख्या 1 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए चक नम्बर 14 एचएमएच तहसील हनुमानगढ के वर्तमान खाता सख्या 39/104 सम्वत 2076-2079 तादादी 6.325 हैक्टेयर में प्रतिवादी सख्या 1 को 0.100 हैक्टेयर के स्थान पर घरू बंटवारे अनुसार 0.119 हैक्टेयर का खातेदार घोषित फरमाये जाने तथा उक्त घोषित 0.119 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन पत्थर नम्बर 138/279 (6) के किला नम्बर 5 के पश्चिम सिरे पर 0.119 हैक्टेयर फरमाते हुये पृथक से खाता कायम करने एंव रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 के आधिपत्य व धारण मे 0.100 हैक्टेयर आराजी होने व इतनी ही आराजी उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सख्या 1 खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सख्या 2 से 8 ने जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रतिवादीया सख्या 2 भागवन्ती (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 3 अजय कुमार (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 4 दलीप कुमार (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 5 अनुसुईया (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 6 सुमन देवी (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 7 सलैन्द्र (0.341 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 8 पार्थ साई (0.341 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 9 सोनू साई (0.341 हैक्टेयर) - पत्थर नम्बर 138/276 (9) किला नम्बर 1 से 4/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 5/.111 हैक्टेयर कुल 1.123 हैक्टेयर कृषि भूमि के खाता विभाजन का अनुतोष चाहा, जिस पर वादी ने अनापति जाहिर की। वाद पत्र व काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 में विरोधाभास होने के कारण न्यायालय द्वारा तनकीत कायम की गई।

1 आया वादी वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि मुताबिक वाद पत्र की चरण संख्या 3 खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है?

- वादी

2 आया प्रतिवादी सख्या 1 काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 7 में दर्ज कृषि भूमि मुताबिक काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 9 खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है ?

- प्रतिवादी सं. 1

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

8

3 आया प्रतिवादी सख्या 2 से 8 काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 6 में दर्ज कृषि भूमि मुताबिक काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 7 खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है ?
– प्रतिवादी सख्या 2 ता 8

अनुतोष –

साक्ष्य वादी व प्रतिवादीगण करवाये गये। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य के अनुसरण में दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार व तनकीवार निर्णय इस प्रकार से है कि –

तनकी नम्बर 1 आया वादी वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि मुताबिक वाद पत्र की चरण संख्या 3 खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है –

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है तथा वादी द्वारा जमाबन्दी प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत की जिसमें वादी के नाम 5.102 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वादी को घराघरू बंटवारा में प्राप्त हुई आराजी के सम्बन्ध में नजरी नक्शा प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत किया तथा जिरह वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का अवलोकन किया गया जिससे वादी द्वारा उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी बाबत खाता विभाजन चाहा है तथा प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा एडब्लयू 1 व 2 में वादी के नाम 5.102 हैक्टेयर आराजी होना स्वीकार किया है जिसके आधार पर वादी के आधिपत्य व धारण में मुताबिक प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नक्शा 5.102 हैक्टेयर आराजी होने बाबत कोई विरोध नही है, इस प्रकार उक्त तनकी को साबित करने में वादी सफल रहा है।

तनकी नम्बर 2 – आया प्रतिवादी सख्या 1 काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 7 में दर्ज कृषि भूमि मुताबिक काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 9 खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है –

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1–ए(3) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिवादी सख्या 1 की रिहायशी ढाणी पत्थर नम्बर 138/276 (9) के किला नम्बर 5 में पश्चिमी सीव के साथ 65.22 गुणा 165 फुट यानि .100 हैक्टेयर आराजी होना स्वीकार करते हुए नक्शा प्रदर्श एडब्लयू 1 व 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काउन्टर क्लेम उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व नक्शे के अनुसरण में प्रतिवादी सख्या 1 का नक्शा प्रदर्श ए1, ए2 के अनुसार 0.100 हैक्टेयर आराजी का खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा 0.119 हैक्टेयर आराजी की घोषणा बाबत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर 0.100 हैक्टेयर आराजी की हद तक खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तनकी नम्बर 3 – आया प्रतिवादी सख्या 2 से 8 काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 6 में दर्ज कृषि भूमि मुताबिक काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 7 खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है–

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सख्या 2 से 8 पर था तथा प्रतिवादी सख्या 2 से 8 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीया सख्या 2 भागवन्ती (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 3 अजय कुमार (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 4 दलीप कुमार (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 5 अनुसुईया (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 6 सुमन देवी (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 7 सलैन्द्र (0.341 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 8 पार्थ साई (0.341 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 9 सोनू साई (0.341 हैक्टेयर)– पत्थर नम्बर 138/276 (9) किला नम्बर 1 से 4/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 5/.111 हैक्टेयर कुल 1.123 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता विभाजन तथा

प्रतिवादी सख्या 7 से 9 के पिता/पति का नाम भूपेन्द्र उर्फ रणवीर अंकित किया जाना न्यायोचित है।

अनुतोष - इस प्रकार वाद पत्र वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सख्या 2 ता 8 डिक्री किये जाते है तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 खारिज किया जाकर 0.100 की हद तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद-पत्र वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सख्या 2 ता 8 डिक्री किया जाकर वादी के आधिपत्य व धारण की कृषि भूमिः- चक 14 एचएमएच पत्थर नम्बर 138/276 मुख्बा नम्बर 9 किला नम्बर 5/0.042, 6 से 25 तादादी 5.102 हैक्टेयर नहरी भूमि। प्रतिवादी सख्या 1 के आधिपत्य व धारण की भूमिः- पत्थर नम्बर 138/276 (9) किला नम्बर 5/0.100 हैक्टेयर। तथा प्रतिवादी सख्या 2 से 9 के आधिपत्य व धारण की भूमिः- प्रतिवादीया सख्या 2 भागवन्ती (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 3 अजय कुमार (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 4 दलीप कुमार (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 5 अनुसुईया (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 6 सुमन देवी (0.020 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 7 सलैन्द्र (0.341 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 8 पार्थ साई (0.341 हैक्टेयर), प्रतिवादी सख्या 9 सोनू साई (0.341 हैक्टेयर) - पत्थर नम्बर 138/276 (9) किला नम्बर 1 से 4/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 5/.111 हैक्टेयर कुल 1.123 हैक्टेयर कृषि ,भूमि। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाता है। तथा प्रतिवादी सख्या 7 से 9 के पिता/पति का नाम भूपेन्द्र उर्फ रणवीर दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 को खाता विभाजन मे किला नम्बर 5 में प्राप्त आराजी की दिशा हेतु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श ए1, ए2 इस डिक्री का भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ